



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

Summons

फाइल. सं. NCST/DEV-1138/MH/29/2022-RO-BH

श्री पंकज कुमार गर्ग,
उप-वन संरक्षक,
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक) पश्चिमी नासिक का कार्यालय
शरणपुर पुलिस चौकी के सामने,
त्र्यंबक रोड, नाशिक 422 002, महाराष्ट्र,
ई-मेल: dycfnashikwest@mahaforest.gov.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष दिनांक 16.06.2023 को अपराहन 12:00 बजे, आयोग मुख्यालय, 6 वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलों का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. नाशिक जिले में वनाधिकार एवं पेसा (PESA) कानून के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का निराकरण करने के संबंध में वयम फ़ाउंडेशन, 12 शायली शेल्टर्स, विट्टल मंदिर के पीछे, कर्व नगर, पुणे, महाराष्ट्र का दिनांक 17.10.2022 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 2: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 08.12.2022.

संदर्भ 3: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 17.03.2023.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 08, जून, 2023 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

मोहर



हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी
Court Officer

National Commission for Scheduled Tribes

Lok Nayak Bhawan, New Delhi-110003

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi -110003, website : www.ncst.nic.in

Tel. : 011-24657272, 011-24620638 Toll Free : 1800117777 Email : court-officer@ncst.nic.in